न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 26/2025

अपीलान्ट — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

रामकरण पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मोकलपुर तहसील मेडतासिटी जिला नागौर।

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मेडतासिटी जिला नागौर।
2 पटवारी, पटवारी हल्का मोकलपुर तहसील मेडतासिटी, जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.03.2026

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 03/2020 सरकार बनाम रामकरण में निर्णय दिनांक 11.03.2025 के तहत मौजा मोकलपुर की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.04.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 08.04.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 11.03.25 की फोटोप्रति, ग्राम मोकलपुर की जमाबंदी संवत् 2076 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.08.19 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, शपथ पत्र दिनांक 12.08.25 की फोटोप्रति, फोटोग्राफ–4 की प्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय हाजा पारित आदेश दिनांक 11.03.25 न्याय, नियम व कानून के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अनुचित है। अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते तो पुराना राजस्व रिकार्ड आदि दस्तावेजों की नकलें प्राप्त करके पेश करता तथा खेत पडौसियों की मौखिक साक्ष्य भी पेश करता। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया इसलिये आदेश जैर अपील अवैध है।

{2}(III)–मोकलपुर की आबादी करीब 3000 से अधिक है जहां पर अपीलांट का स्थाई बाडा बना हुआ है। मौजा मोकलपुर की आबादी सीमा में खसरा नम्बर 1370 रकबा 3.06 हैक्टयर में से 0.13 हैक्टयर गैर मुमकिन बाडा, 0.39 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडक व 2.54 हैक्टेयर बारानी 1 व खसरा नम्बर 1370/3549 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन सडक स्थित है। उक्त 0.13 हैक्टेयर में अपीलांट के अलावा ग्राम मोकलपुर के कई व्यक्तियों के मकान व रहवासीय बाडे बने हुये है जो अलग अलग लोगो के बने हुये है जो सभी जाति धर्मो के लोग निवास करते है और उसमें अपने परिवार सहित निवास करते है बाकी रकबा में हनुमान जी का मंदिर, रामस्नेही बगीची, सती माता का मंदिर व कब्रिस्तान, पांच अलग अलग सडके बनी हुई है। जिन सडको का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा जारी फण्ड से निर्माण किया गया है। किन्तु उक्त बाडे, धार्मिक स्थल व सरकारी भवन नक्शे में अलग से तरमीम नहीं है तथा रास्ते भी तरमीम नहीं किये हुये है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी व संयुक्त नक्शे में अंकित है जहां पर अपीलांट का बाडा बनाम हुआ है। अपीलांट का बाडा जो आबादी क्षेत्र में आया हुआ है जिसकी तरमीम नहीं होने से से संयुक्त खातेदारी की आड में राजस्व कर्मचारी बिना किसी आधार के अपीलांट की कब्जासुद जायगा से बेदखल करने के लिये प्रयासरत है, जिसके लिये अपीलांट ने सिविल न्यायाधीश मेडता के समक्ष सिविल दावा पेश किया जो विचाराधीन है। उक्त जायगा में बना बाडा अपीलांट का कदीमी पीढियों से बना हुआ है तथा उक्त भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें सिवाय चक की अलग से कोई तरमीम नहीं की हुई है और न ही किसी प्रकार का कोई सीमाकंन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बता पाना मुश्किल है कि, सिवाय चक की भूमि कौन सी भूमि है इसके बावजूद पटवारी हल्का ने केवल राजनैतिक द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों के सिखावे में आकर गलत रूप

२३/३/२६

अपर कलक्टर, नागौर

से कार्यवाही की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी संयुक्त खातेदारी व तरमीम के बिन्दुओ पर विचार किये बिना ही गलत रूप से पश्चातवृति अतिक्रमण मानते हुये जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– उक्त भूमि आबादी की भूमि है तथा सिवाय चक भूमि की अलग से किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं हो रखी है ऐसी स्थिति में केवल मात्र संयुक्त खातेदारी में सिवाय चक दर्ज होने मात्र से किसी भी व्यक्ति के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाना विधि सम्मत नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– खसरा नम्बर 1370 का बंटवाडा होकर अलग अलग हिस्से होकर तरमीम नहीं हो जाता तब तक यह बता पाना असंभव है कि, सिवाय चक की कौनसी भूमि है और खातेदारों की कौन सी भूमि है तथा कौन कौन किस स्थान पर काबिज है। पटवारी हल्का ने केवल मात्र खसरा नम्बर 1370 अंकित करते हुये उस पर 0.24 हैक्टेयर सरकारी भूमि बताते हुये कब्जा बताया है जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1370 का कुल रकबा 3.0800 हैक्टेयर भूमि है इसलिये जो नजरी नक्शा बनाया गया है। वह केवल मात्र काल्पनिक तौर पर ही अपनी मनमर्जी से बनाया गया है तथा न ही उक्त जायगा के संबंध में किसी प्रकार की तरमीम की हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है। वह खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उपस्थिति में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिनुसार सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जुलाई 2020 में कोरोना 19 के कारण न्यायिक कार्य पूर्णतया बंद था तथा न ही किसी का आना जाना संभव था तथा न ही किसी भी व्यकित के विरूद्व उस वक्त किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल कार्यवाही अमल में लाई जा सकती थी तथा कोरोना काल के बाद मे अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिनुसार नोटिस नहीं दिया गया ओर न ही अपीलांट विधिनुसार जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर दिया गया। इस प्रकार उक्त आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य सबूत के ही व बिना किसी आधार के पश्चातवृति अतिक्रमण मानने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है, इसलिए भी उक्त आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने दिनांक 12.08.2025 को न्यायालय हाजा में उक्त आराजी भूमि से अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र पेश किया है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मोकलपुर में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 03/2020 सरकार बनाम रामकरण में निर्णय दिनांक 11.03.2025 के तहत मौजा मोकलपुर की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया होने का शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार मेडता ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.03.2026 मे उक्त जायगा पर अपीलांट के अतिक्रमण हटाने की पुष्टि की है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलान्ट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/3/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर